(52)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
96 / 2020	22 / 09 / 2020	12 / 09 / 2025

1. हीरालाल पुत्र भैरूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम लांगडियावास तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर।

अप्रार्थी

उपस्थित अभिभावक
श्री रमाशंकर :– वकील प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र बाबत नक्शा, रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

–: निर्णय :–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके प्रार्थीगण की शामलाती खातेदारी भूमि जिसके साबिक खसरा नम्बर 164/1 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा के हाल किये गये नये सेटलमेट में खसरा नम्बर 80 रकबा 1.3000है0 ग्राम लांगडियावास तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। हाल किये गये सेटलमेंट मे प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 164/1 के नवीन खसरा नम्बर 80 बनाये गये है। जिससे प्रार्थी की भूमि का राजस्व नक्शें में रकबा कम कर गत खसरा नम्बर 164/2 के नवीन खसरा नम्बर 81 का अंकन कर दिया गया है। नवीन नक्शा में वास्तविक के विपरित खसरा नम्बर 81 का अंकन खसरा नम्बर 80 के उत्तर पश्चिम में अंकित किया गया है जबकि वास्तविकता में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 80 खसरा नम्बर 81 के उत्तर में स्थित है तथा खसरा नम्बर 81 खसरा नम्बर 80 के दक्षिण दिशा में स्थित है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 164/1 के नवीन खसरा नम्बर 80 पर पूर्वानुसार काबिज काश्त है। प्रार्थी की उक्त भूमि के नक्शें मे हाल किये सैटलमेंट में खसरा नम्बर 164/1 के नवीन खसरा नम्बर 80 में पूर्व अनुसार तरमीम नही कर वास्तविकता के विपरित 81 को अंकित कर दिया ओर प्रार्थी की खातेदारी भूमि राजस्व नक्शे में कम कर अवैध रूप से अंकित कर दिया गया है तथा खसरा नम्बर 81 जहा राजस्व नक्शें में अंकित है वहा पूर्व से प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। खसरा नम्बर 81 को तरमीम किया गया है जो मौका स्थिति एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के अनुरूप नही है। अतः उक्त वादग्रस्त भूमि गत खसरा नम्बर 164/1 के हाल किये गये नये सेटलमेंट मे खसरा नम्बर 80 एवं 164/2 के नवीन खसरा नम्बर 81 ग्राम लांगडियावास का पूर्व से चले आ रहे कब्जे काश्त के अनुसार पूर्व नक्शें के अनुसार दुरूस्त कर नक्शा कायम किया जावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को तलबी करवाई गई। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) ने अपने जवाब मे निवेदन किया कि वाके ग्राम लांगडियावास के खाता सं0 179 के खसरा नम्बर 80 रकबा 1.30है0 भूमि प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। साबिक खसरा नम्बर 164/1 के हाल खसरा नम्बर 80 व साबिक खसरा नम्बर 164/2 के हाल खसरा नम्बर 81 बने है। लेकिन साबिक नक्शे व हाल नक्शें में अन्तर किया गया है। प्रार्थी व सहखातेदार साबिक नक्शें अनुसार ही काबिज काश्त है। साबिक व हाल नक्शें में अन्तर है जो शुद्वी योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला–जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

(42)

बहस वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं पैरोकार सरकार के जबाब का अवलोकन करने तथा बहस का मनन करने पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम लांगडियावास, पटवार हल्का लांगडियावास, तहसील जमवारामगढ में स्थित उक्त वादांकित भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 80 रकबा 1.3000है0 साबिक खसरा नम्बर 164/1 व वर्तमान खसरा नम्बर 81 के साबिक खसरा नम्बर 164/2 के हाल नक्शा को साबिक नक्शें अनुसार तरमीम दुरूस्त कर नवीन नक्शा कायम किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 12.09.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

Scanned with OKEN Scanner